

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

किस्म मुकदमा कयूर सिंह वनाम राठव व सुतासेठ कोरा
डोपील नं. 3013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
5.4.13	डोपील के Adv उपर डोपील को रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। डोपील से सियद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए डोपील दर्ज रखि० की जाती है। रेकार्ड व रेस्पोजेन्स को तयब किया जाने। पचावली विज्ञांक 24-10-13 को पेश हो।	जारी 23/12/13 59/13
24/13	डोपील के Adv उपर रेस्पों सं० 3 की ओर से भी अवलोकन सिद्ध करा। Adv से वकालतनामा पेश किया-आठ मिसुल दो/रेस्पों सं० 2-4-6-9 के सुस्मन बाद तारीख अदत। रेस्पों सं० 2-4-6-9 का वजूद विधिवत तारीख उपस्थित नहीं। उक्त रेस्पों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। रेस्पों सं० 5-7-8 के सुस्मन पर रिपोर्ट अदत हुई है कि वे जाँत हो चुके हैं। रेस्पों सं० 10-11-12 के सुस्मन पर रिपोर्ट अदत हुई है कि वे इहाँवाली (पंजाब) रहते हैं - अतः वकील डोपील रेस्पों सं० 10-11-12 के जवाब पत्तों के साथ सुस्मन तयबना पेश करें। सुस्मन जारी हो। पचावली विज्ञांक 18.12.13 को पेश हो।	

जारी 23/12/13
59/13

02-06-26

अधिवक्ता अभयपत्र उपस्थित पत्रावली वास्तु
रिमाई तलवी जिगां 09/6/26 मी पेश हाई

09.6.26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलार्थी को पृथक-पृथक समय पर रूक-रूक कर, बार-बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तरतीब तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर